



न्यायालय श्रीमान् राजस्व मण्डल सर्किट कोर्ट रीवा जिला रीवा म०प०



RS 30/-

III/मिग/रीवा/2017/2216

1. पुनेश्वर प्रसाद पिता स्व० श्री स्वामीदयाल झा० साकिन करौदहा, तह० सिरमौर जिला रीवा म०प०
2. रामकली पति श्री स्व०श्री नागेश्वर प्रसाद
3. नागेन्द्र & दोनो के पिता स्व०नागेश्वर प्रसाद
4. राजेन्द्र &

सभी नि०ग्राम करौदहा तह०सिरमौर जिला रीवाम०प०

----- निगरानी कर्ता/आवेदक

बनाम्

मोहित तिवारी पिता राजेन्द्र तिवारी सा० नेहरुनगर रीवा & बी०बी०एस०स्कूल के पास & तहसील हुजूर जिला रीवा म०प०

---- गैरनिगरानीकर्ता

निगरानी बाबत राजस्व निरीक्षकमण्डल बैकुण्ठपुर तहसील सिरमौर जिला रीवा द्वारा नक्शा तरमीम दिनांक 25/2/2017 भूमि खसरा क्रमांक 121/3 रकबा 0.178 हे० स्थित ग्राम करौदहा पटवारी हल्का माडौ क्र० 57 राजस्व निरीक्षक मण्डल बैकुण्ठपुर तहसील सिरमौर जिला रीवा म०प० के विरुद्ध निगरानी

निगरानी अन्तर्गत धारा 50 म०प०भू-राजस्व संहिता 1959ई०

महोदय,


निगरानी के आधार निम्न है:-

॥१॥ यहकि आराजी खसरा क्रमांक 121/3 के भूमिस्वामी गैरनिगरानीकर्ता द्वारा राजस्व निरीक्षकमण्डल बैकुण्ठपुर तहसील सिरमौर जिला रीवाम०प० में स्थित है जिसे मिलाजुल कर बोरी छिपे तौर पर राजस्व निरीक्षक मण्डल बैकुण्ठपुर

आवेदक/निगरानीकर्ता

11/8/17

प्रकरण प्रस्तुत। अवलोकन किया गया। राजस्व निरीक्षक वृत्त बैकुण्ठपुर तहसील सिरमौर द्वारा दिनांक 22-2-17 को की गई नक्शा तरमीम कार्यवाही के विरुद्ध म0प्र0 भू राजस्व संहिता, 1959 की धारा 50 के अंतर्गत यह निगरानी प्रस्तुत हुई है। तरमीम कार्यवाही म0प्र0 भू राजस्व संहिता 1959 की धारा 68 सहित 70 के अंतर्गत की जाती है एवं इन धाराओं में पारित आदेश अपील योग्य होता है। सीधे राजस्व मण्डल में प्रस्तुत निगरानी प्रचलन-योग्य नहीं है। आवेदक इस आदेश की प्रमाणित प्रतिलिपि सहित सक्षम न्यायालय में अपील प्रस्तुत करने हेतु स्वतंत्र है। तदनुसार निगरानी इसी-स्तर पर अमान्य की जाती है।


सदस्य